वार्षिक लेखे

2009–10

एवं

पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

2009–10

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (ए.यू.डी.)

लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने **डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली** के दिनांक 31-03-2010 की स्थिति के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र और इसके साथ संलग्न 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा एवं प्राप्ति तथा भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की। इन वित्तीय विवरणों के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों की आवश्यकता है कि हम योजना बनाएं और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें ताकि वित्तीय विवरण मेटेरियल गलतबयानी से मुक्त हो। एक लेखापरीक्षा में एक जांच के आधार पर, वित्तीय विवरणों में धनराशि का समर्थित सबूत और प्रकटीकरण पर जांच शामिल होती है। लेखापरीक्षा में लेखाकरण सिद्धांत कथन प्रेजेंटेशंस का आकलन शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

I. अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए खर्च की गई राशि खरीद के वर्ष में खर्च के रूप में ली गई है।

उपर्युक्त और लेखा पर नोट्स के नोट संख्या B 1-B3 के अधीन,

हमारी राय में और हमारी जानकारी एवं विश्वास तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार संलग्न और इसके साथ संलग्न लेखाकरण नीति के उल्लिखित खातें सत्य हैं एवं पर्याप्त अलोकन देते हैं :

क. दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली की परिस्थिति के तुलन-पत्र के मामले में और

ख. दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए उपदान के उपयोग के आय एवं व्यय लेखा के मामले में

कृते : एम. वर्मा एंड एसोसिएट्स,
चार्टरित लेखाकार
भागीदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 1/11/2010

लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने **डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली** के दिनांक 31-03-2010 की स्थिति के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र और इसके साथ संलग्न 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा एवं प्राप्ति तथा भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की। इन वित्तीय विवरणों के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों की आवश्यकता है कि हम योजना बनाएं और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें ताकि वित्तीय विवरण मेटेरियल गलतबयानी से मुक्त हो। एक लेखापरीक्षा में एक जांच के आधार पर, वित्तीय विवरणों में धनराशि का समर्थित सबूत और प्रकटीकरण पर जांच शामिल होती है। लेखापरीक्षा में लेखाकरण सिद्धांत कथन प्रेजेंटेशंस का आकलन शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

I. अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए खर्च की गई राशि खरीद के वर्ष में खर्च के रूप में ली गई है।

उपर्युक्त और लेखा पर नोट्स के नोट संख्या B 1-B3 के अधीन,

हमारी राय में और हमारी जानकारी एवं विश्वास तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार संलग्न और इसके साथ संलग्न लेखाकरण नीति के उल्लिखित खातें सत्य हैं एवं पर्याप्त अलोकन देते हैं :

क. दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली की परिस्थिति के तुलन-पत्र के मामले में और

ख. दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए उपदान के उपयोग के आय एवं व्यय लेखा के मामले में

कृते : एम. वर्मा एंड एसोसिएट्स,
चार्टरित लेखाकार
भागीदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 1/11/2010

अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली

दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

देयताएं	संलग्नक	धनराशि रु. पै.	परिसंपत्तियां	संलग्नक	धनराशि रु. पै.
अव्ययित अनुदान					
आय एवं व्यय लेखा के अनुसार		45610564.00	स्थायी परिसंपत्तियां	II	35954063.00
	I		चालू परिसंपत्तियां तथा ऋण एवं अग्रिम	III	46226034.00
देयताएं एवं प्रावधान		598573.00			
सीईसीईडी		16897.00			
पूंजीगत निधि					
पूंजीगत व्यय की धनराशि		35954063.00			
		82180097.00			**82180097.00**

उसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 1.11.2010

श्याम बी. मेनन
कुलपति
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

सी.एम. शर्मा
परामर्शदाता(वित्त)
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टरित लेखाकार

अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली

दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा

व्यय	संलग्नक	धनराशि रु. पै.	आय	संलग्नक	धनराशि रु. पै.
			गत वर्ष से अग्रनयन अव्ययित अनुदान		37025571.00
वितरित अनुदान		217000.00			
स्थायी परिसंपत्तियां	II	27633922.00	**प्राप्त अनुदान**		
प्रशासन लागत	IV	26634312.00			
		500000.00	अनुदान सहायता		60000000.00
पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम की लागत					
			फार्मों एवं प्रकाशनों की बिक्री		**129561.00**
गत वर्ष से अग्रनयन अव्ययित अनुदान		45610564.00			
			पाठ्यक्रम शुल्क		2834565.00
			परीक्षा शुल्क		64300.00
			बैंक ब्याज		541801.00
कुल		**100595798.00**	**कुल**		**100595798.00**

उसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 1.11.2010

श्याम बी. मेनन
कुलपति
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

सी.एम. शर्मा
परामर्शदाता(वित्त)
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टरित लेखाकार

अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली

दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान

प्राप्तियां	संलग्नक	धनराशि रु. पै.	भुगतान	संलग्नक	धनराशि रु. पै.
आरंभिक नकद एवं बैंक शेष		21205226.00	स्थायी परिसंपत्तियां	II	27633922.00
प्राप्त अनुदान		60000000.00	प्रशासन लागत	IV	26425414.00
परीक्षा शुल्क		64300.00	पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम की लागत		500000.00
फार्मों की बिक्री		129561.00	वितरित अनुदान		217000.00
			कर्मचारियों एवं अन्य को भुगतान किया गया अग्रिम		374704.00
पाठ्यक्रम शुल्क		2834565.00			
अवधान धनराशि		170000.00	गत वर्ष की देयता का भुगतान		165450.00
गत वर्ष के अग्रिमों का समायोजन					
आईआईसी	50000.00				
सीपीडब्ल्युडी	11875377.00	11925377.00			
भुगतानयोग्य धनराशि-सीईसीईडी		16897.00	अंत शेष नकद एवं बैंक बैलेंस	III	41728586.00
प्रतिभूति जमा		199675.00			
बैंक ब्याज					
केनरा बैंक (टीडीएस पर निवल)		499475.00			
कुल		**97045076.00**	**कुल**		**97045076.00**

उसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 1.11.2010

श्याम बी. मेनन
कुलपति
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

सी.एम. शर्मा
परामर्शदाता(वित्त)
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टरित लेखाकार

शेड्यूल I - चालू देयताएं एवं प्रावधान

	धनराशि
प्रतिभूति जमा	219675
देय लेखापरीक्षा शुल्क	165450
देय व्यय	43448
अवधान धनराशि	170000
	598573

श्याम बी. मेनन
कुलपति
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

सी.एम. शर्मा
परामर्शदाता(वित्त)
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टरित लेखाकार

शेड्यूल - II
स्थायी परिसंपत्तियां

		सकल ब्लॉक					
क्रमांक	परिसंपत्ति विवरण	1.4.09 की स्थिति के अनुसार लागत	परिवर्धन >180 दिन	< 180 दिन	घटायी >180 दिन	< 180 दिन	31.3.10 की स्थिति के अनुसार कुल
1.	फर्नीचर एवं फिक्सचर	2559403	2083221	18788130	0	0	23430754
2.	कंप्यूटर एवं उपकरण	4033250	·1159998	2205859	0	0	7399107
3.	कार्यालय उपकरण	124000	345081	820524	0	0	1289605
4.	पुस्तकें	1603488	61569	2169540	0	0	3834597
		8320141	**3649869**	**23984053**			**35954063**
				27633922			

श्याम बी. मेनन
कुलपति
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

सी.एम. शर्मा
परामर्शदाता(वित्त)
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टरित लेखाकार

संलग्नक III - चालू परिसंपत्तियां एवं ऋण तथा अग्रिम

	धनराशि
भाग-क चालू परिसंपत्तियां	
हाथ रोकड़	22031
बैंक शेष	41706555
भाग-ख ऋण एवं अग्रिम	
विभागीय कार्य हेतु सीपीडब्ल्युडी के लिए अग्रिम	3924623
वसूलीयोग्य टीडीएस	42326
कर्मचारी को अग्रिम	520160.7
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	10338
कुल	

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 1.11.2010

श्याम बी. मेनन
कुलपति
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

सी.एम. शर्मा
परामर्शदाता(वित्त)
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टरित लेखाकार

संलग्नक IV - प्रशासन लागत

विवरण	धनराशि
विज्ञापन और प्रचार	3841327
परिवहन व्यय	256241
बैंक प्रभार	5832
विद्युत व्यय	87727
वाहनों का किराया	1827923
सामान्य व्यय	171883
मानदेय	89290
टेलीफोन एवं इंटरनेट	322715
परामर्श/पाठ्यक्रम devt/स्क्रीनिंग/चयन मीट	1460859
सेमीनार/सम्मेलन/कार्यशाला एवं समारोह	375420
मरम्मत एवं अनुरक्षण	376017
अनुबद्ध/विजिटिंग/अतिथि शिक्षक	2184106
डाक एवं कूरियर	71280
प्रिटिंगएवं एवं स्टेशनरी	1063360.8
वेतन एवं भत्ते	11357939
कर्मचारी कल्याण	71539
प्रोफेशनल चार्जेज	124791
अभिदान एवं पिरिऑडिकल्स	1696213.5
चिकित्सा खर्चे	61102
लेखापरीक्षा शुल्क	165450
जल प्रभार	51120
नवीकरण एवं अनुरक्षण	165765
वाच एंड वार्ड	256041
परीक्षा खर्च	87740
भुगतान की गई छात्रवृत्ति	427000
बैठक पर किए गए खर्च(सांविधिक निकाय)	35631
कुल	**26634312.3**
घटाए: देय खर्च	208898
नकद प्रशासन लागत	**26425414.3**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 1.11.2010

श्याम बी. मेनन
कुलपति
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

सी.एम. शर्मा
परामर्शदाता(वित्त)
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टरित लेखाकार

(ख) लेखा पर टिप्पणियां (नोट्स ऑन एकाउंट)

1. वर्ष 2008-09 के दौरान एयर-कंडीशनर्स उपलब्ध कराने तथा उनके संस्थापन हेतु सी.पी.डब्ल्यु.डी को रु.15800000.00 के अग्रिम का भुगतान किया गया था। दिनांक 07.04.2010 के पत्र द्वारा सूचित किया कि रु.11875377.00 की धनराशि उन्हें सौंपे गए कार्य के लिए खर्च की गई है, तथापि, विश्वविद्यालय के अनुरोध के बावजूद खर्च के बिल/सहायक विवरण उनके द्वारा अभी तक उपलब्ध कराए जाने हैं। सी.पी.डब्ल्यु.डी के दिनांक 07/04/2016 के पत्र के आधार पर रु.11875377.00 की धनराशि के एयर-कंडीशनर्स उपलब्ध कराए गए जिनका विश्वविद्यालय उपयोग कर रहा है। यह धनराशि 'ए.सी. फिटिंग एवं इंस्टालेशन' शीर्ष के तहत पूंजीगत है।
2. भविष्य निधि, उपदान आदि, यदि कोई हो तो, के कारण कर्मचारी लाभों हेतु देयताओं को अभिनिश्चित तथा लेखा-जोखा नहीं किया गया है।
3. संसाधन व्यक्ति/विजिटिंग/अतिथि शिक्षक, परामर्शदाता, पाठ्यक्रम विकास/स्क्रीनिंग/चयन समिति के सदस्यों को भुगतान किए गए मानदेय हेतु टीडीएस की कटौती के कारण देयताएं इस चरण में अभिनिश्चित नहीं की गई है इसलिए प्रदान नहीं की गई।
4. 'बचपन शिक्षा एवं विकास केंद्र' (सी.ई.सी.ई.डी.) को वितरित किए गए रु.217000.00 की धनराशि के अनुदान का खर्च के रूप में लेखांकन किया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 1.11.2010

श्याम बी. मेनन
कुलपति
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

सी.एम. शर्मा
परामर्शदाता(वित्त)
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टरित लेखाकार

अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली

(क) महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

अनिवार्य लेखा मानकों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुसार सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ प्रोद्भवन लेखांकन विधि पर ऐतिहासिक लागत अवधारणा के तहत खातों को तैयार किया जाता है।

2. राजस्व मान्यता

(i) निम्नलिखित को छोड़कर आय और व्यय का प्रोद्भवन आधार पर हिसाब रखा जाता है:

(ii) विद्यार्थियों से प्राप्त फीस और अन्य प्राप्तियों तथा सरकारी अनुदानों का प्राप्ति के आधार पर हिसाब रखा जाता है।

(iii) जरनल्स के वार्षिक अभिदान हेतु भुगतान की गई धनराशि को व्यय वर्ष में पूरी तरह से चार्जड ऑफ किया है।

3. स्थायी परिसंपत्तियां

(i) स्थायी परिसंपत्तियों को लागत के रूप में दर्शाया गया है और खरीद के वर्ष में पूरी तरह से चार्जड ऑफ किया गया है।

(ii) वर्ष के दौरान कंप्यूटर के साथ क्रय किए गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पूंजीगत हैं।

4. अनुदान के लिए लेखाकरण

(i) पूंजीगत व्यय के लिए सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को आय और व्यय खाते में प्राप्ति वर्ष में आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

(ii) राजस्व खर्च के संबंध में सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को प्राप्ति वर्ष में आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप में अंग्रेजी में लिखित लेखापरीक्षा का हिंदी अनुवाद है। इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा"

पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

2009–10

प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), दिल्ली का कार्यालय
आई.पी. स्टेट, ए.जी.सी.आर. भवन, नई दिल्ली-110 002

सं. एस.एस.1/अम्बेडकर/लेखा 2009-10/ 2014-15/ दिनांक : 10/8/15

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय ,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
'बी' विंग द्वितीय तल,
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली 1100-54

विषय : वर्ष 2009-10 के लिए अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के लेखा पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

महोदय,

मैं इसके साथ वर्ष 2009-10 हेतु अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के लेखा पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित करता हूं। कृपया विधानमंडल में प्रस्तुत अंग्रेजी और हिंदी में लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रत्येक की दो प्रतियां इस कार्यालय को अग्रेषित की जाए।

कृपया प्रमाणित लेखा तथा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने तक इन्हें ''गोपनीय'' समझा जाए।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
उप महालेखाकार(एस.एस.ए.)

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार

सं. एस.एस.1/अम्बेडकर/लेखा 2009-10/14-15/99

1. कुलसचिव, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली – इस कार्यालय को प्रमाणित लेखा के हिंदी पाठ की 5 प्रतियां भेजने के अनुरोध सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (एबी), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110 124

उप महालेखाकार(एस.एस.ए.)

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए अम्बेडकर विश्वविद्यालय के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन(रिपोर्ट)

हमने 31 मार्च, 2010 को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के खंड 19(3) के अंतर्गत उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अम्बेडकर विश्वविद्यालय के संलग्न तुलन-पत्र, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा तथा आय एवं व्यय लेखा की लेखापरीक्षा की। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के प्रबंधन की है। हमारी जवाबदेही हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

1. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट मसौदा में केवल वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखा प्रयोगों के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानों इत्यादि के संबंध में लेखा परीक्षण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सी.ए.जी.) की टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों तथा विनियमों(औचित्य और नियमनिष्ठा) एवं कार्यकुशलता-सह-प्रदर्शन पहलुओं इत्यादि के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेनदेन संव्यवहारों लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हो, तो जांच रिपोर्ट/सी.ए.जी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथक रूप से सूचित की जाती हैं।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों से अपेक्षा है कि हम वित्तीय विवरणों के प्रत्यक्ष अयथार्थता से मुक्त होने के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसका निष्पादन करें। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर धनराशियों के समर्थन में साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की जांच शामिल है। एक लेखापरीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा बनाए गए सार्थक अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण रूप से प्रतिपादन का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए एक सार्थक आधार प्रदान करती है।

3. **हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :**

i. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी लेखापरीक्षा हेतु यथासंभव हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।

ii. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा आईसीएआई द्वारा जारी आमतौर पर स्वीकृत लेखा मानकों के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

iii. हमारी राय में, विश्वविद्यालय द्वारा उचित खाता बही और अन्य संबंधित अभिलेखों (रिकार्डस) को विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किया गया है जहां तक ऐसे खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

iv. इसके अलावा हम सूचित करते हैं :

ए. तुलनपत्र

खातों पर टिप्पणियां

टिप्पण(बी)-1

उपर्युक्त टिप्पण के अनुसार रु.118.75 लाख की धनराशि को ''ए.सी. फिटिंग एवं इंस्टालेशन'' शीर्ष के तहत पूंजीकृत की गई थी, जबकि शेड्यूल-II स्थायी परिसंपत्तियां के तहत ऐसा कोई शीर्ष उपलब्ध नहीं है और उक्त धनराशि का फर्नीचर एवं जुड़नार शीर्ष के तहत लेखा-जोखा नहीं किया गया है। इस प्रकार इस सीमा तक नोट की कमी हुई है।

बी. सामान्य

क) तुलनपत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वायत्त निकायों हेतु निर्धारित लेखा के सामान्य प्रारूप के अनुसार तैयार नहीं किया गया था।

ख) अग्रिम रजिस्टर के अभाव में कार्यालय खर्च हेतु कर्मचारियों(स्टाफ) को भुगतान किए गए रु.5.20लाख के अग्रिमों का सहायक (सब्सिडरी) अभिलेखों से लेखापरीक्षा का सत्यापन नहीं किया जा सका।

ग) पुस्तकालय के परिग्रहण(अस्सेसन) रजिस्टर में क्रय तथा परिग्रहण की गई पुस्तकों के प्रोग्रेसिव मूल्य को नहीं लिया गया है , इस प्रकार रु. 38.35 लाख मूल्य की पुस्तकालय की पुस्तकों के मूल्य की सत्यता का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।

घ) रु. 4.40 लाख के कंप्यूटर, सोनी हैंडीकैम इत्यादि क्रय किए गए जिन्हें कंप्यूटर एवं पेरीफेरल्स के बजाय पुस्तकों के शीर्ष के तहत लिया गया है।

ड.) परिसंपत्ति रजिस्टर अनुरक्षितं नहीं किया गया था, इसलिए रु.359.54 लाख मूल्य की परिसंपत्तियों का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।

सी. सहायता अनुदान

वर्ष 2009-10 के अनुसार विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा निदेशालय से रु. 6 करोड़(रु.1.00 करोड़ 'पूंजीगत' और रु.5.00 करोड़ 'राजस्व') का सहायता अनुदान प्राप्त किया। यह पिछले वर्ष का अव्ययित बैलेंस रु.3.70 करोड़(रु.1.17 करोड़ 'पूंजीगत'तथा रु.2.53 करोड़ 'राजस्व') था। इसकी वर्ष के दौरान रु.0.36 करोड़ की अपनी आय भी थी। रु.10.06 करोड़ की कुल प्राप्तियों के प्रति विश्वविद्यालय ने वर्ष की समाप्ति पर रु. 4.56 करोड़ ((-)रु.0.60 करोड़ 'पूंजीगत', रु.4.80 करोड़ 'राजस्व और रु.0.36 करोड़ की आंतरिक प्राप्तियां) की अप्रयुक्त राशि को छोड़कर रु. 5.50 करोड़(रु.2.76 करोड़ 'पूंजीगत' और रु. 2.74 करोड़ 'राजस्व') उपयोग किए।

vii. पिछले पैराग्राफो में हमारी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं कि तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा जिसे इस रिपोर्ट द्वारा निपटाया गया है, लेखा बही के अनुसार है।

viii. हमारी राय में तथा हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण के साथ पठित लेखाकरण नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियां तथा उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन एवं इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों में भारत में सामान्यतया: स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों की अनुरूपता में सही एवं उचित मत दिया है।

वर्ष 2009-10 हेतु ए.यू.डी. की लेखापरीक्षा के लिए संलग्नक

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** – चार्टेड अकाउन्टेंट तथा लेखापरीक्षा निदेशालय, जीएनसीटीडी द्वारा विश्वविद्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई। विश्वविद्यालय की गतिविधियों के साइज एवं प्रकृति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त तथा अनुपातिक है।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता –**
   विश्वविद्यालय की कोई भी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी और वर्ष 2009-10 के दौरान किसी कार्य बल की तैनाती नहीं थी। विश्वविद्यालय के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

3. **स्थायी परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली-** वर्ष 2009-10 हेतु गैर-उपभोज्य/स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।

4. **उपभोज्य/वस्तु सूची(इन्वेंटरी) के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली** - वर्ष 2009-10 हेतु वस्तु सूची(इन्वेंटरी)/उपभोज्य सामग्रियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।

5. **सांविधिक देय के भुगतान में नियमितता** - संस्थान द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान निर्धारित समय के भीतर विश्वविद्यालय ने सांविधिक देय राशि का भुगतान किया।

पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2009–10 पर पैरा वार कार्यवाही

लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विश्वविद्यालय की कार्रवाई

2009-2010	
ए. तुलन-पत्र	
ए.सी. फिटिंग्स का गलत वर्गीकरण किया गया और ''फर्नीचर एवं जुड़नार'' के तहत संस्थापना पर रु.118.75 खर्च किए।	सीएजी प्रारूप शेड्यूल-8 के अनुसार ''स्थायी परिसंपत्ति''(प्रति संलग्न) । फर्नीचर तथा जुड़नार के तहत ए.सी. संयोजित किए गए हैं। अत: इसे ''फर्नीचर एवं जुड़नार'' के तहत दर्शाया गया था।
बी. सामान्य	
क. वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा के सामान्य प्रारूप के अनुसार लेखा अनुरक्षित नहीं किए गए हैं।	वर्ष 2014-15 के बाद से भारत के सी.ए.जी. द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार लेखा तैयार किए जा रहे हैं।
ख. अग्रिम रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किए गए हैं।	अग्रिम को रिकार्ड करने के लिए अग्रिम रजिस्टर बनाया जा रहा है तथा वर्ष 2011-12 से उसकी वसूली की निगरानी की जा रही है।
ग. पुस्तकालय के परिग्रहण रजिस्टर में पुस्तकों के प्रोग्रेसिव मूल्य को नहीं लिया गया है।	पुस्तकालय की पुस्तकों के प्रोग्रेसिव मूल्य को वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू किया जाएगा।
घ. कंप्यूटर का गलत वर्गीकरण किया गया सोनी हैंडीकैम को ''कंप्यूटर एवं पेरीफेरल्स'' के बजाए ''पुस्तकों'' के तहत दर्शाया गया।	वर्ष 2015-16 के लेखा में आवश्यक सुधार कर लिए गए हैं।
ङ. परिसंपत्ति रजिस्टर के रखरखाव का अभाव।	इसके बाद परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार किए गए हैं और अनुरक्षित किए जा रहे हैं। प्रत्यक्ष सत्यापन का कार्य प्रगति पर है।
सी. सहायता अनुदान	
रु.4.56 करोड़ के अनुदान का उपयोग नहीं करना।	तथ्यपूर्ण स्थिति। वर्ष के शुरू में अनुदान का उपयोग नहीं किया जा सका एवं रु.4.56 करोड़ को अगले वित्तीय वर्ष तक ले जाया गया ।

संलग्नक 1. आंतरिक लेखापरीक्षा सिस्टम की पर्याप्तता।	तथ्यपूर्ण स्थिति। इसलिए कृपया कोई टिप्पणी नहीं।
2. आंतरिक नियंत्रण सिस्टम की पर्याप्तता।	आंतरिक नियंत्रण सिस्टम को लागू किया गया और आंतरिक नियंत्रण विंग की स्थापना को मजबूत किया गया।
3. परिसंपत्ति रजिस्टरों का अनुरक्षण नहीं किया गया तथा उनका प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया।	परिसंपत्ति रजिस्टर इसके बाद तैयार किए गए और अनुरक्षित किए जा रहे हैं।
4. वस्तु सूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन।	प्रत्यक्ष सत्यापन का कार्य प्रगति पर है।
5. सांविधिक देय धनराशि के भुगतान में नियिमतता।	तथ्यपूर्ण स्थिति। इसलिए कृपया कोई टिप्पणी नहीं।